

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ५५१ / 2022 दिनांक : ०९.02.2022

श्री अनिल कुमार आर्य (RJ0274), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर को दिनांक 13.01.2022 से 19.01.2022 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री आर्य की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, जोधपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर के पद पर ही की गई ।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 09.02.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/98/1996/ 917

दिनांक : 09.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर को उनके पत्रांक 05 दिनांक 20.01.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल कुमार आर्य (RJ0274), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, जोधपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार